न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास -- मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 04/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नेनाराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी हनुमानसागर (खटोडा) तहसील खींवसर।		नायब तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :--

1. श्री मामराज गुणपाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 22.07.2021

{1}--मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 60/2020 सरकार बनाम नेनाराम में निर्णय दिनांक 14.10.2020 के तहत मौजा हनुमानसागर के खसरा नं. 264 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.01.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 14.10.2020 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}--उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलांट को विधिवत सुने बिना एकतरफा मे दिनांक 14.10.20 को पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को नही रही व अपीलांट निश्चित था कि रास्ता पर कथित ईसाराम वगैरा ने जो अतिक्रमण किया है उनके विरूद्व पूर्व मे निर्णय हो रखा है अपीलांट का रास्ता पर कोई कब्जा अतिक्रमण नही होने से इस बाबत ध्यान नही दे सका। लेकिन सजा का निर्णय भी कर दिया व गिरफ्तारी वारंट आदि जारी होने की हाल ही मे जानकारी होने पर नकलो का आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 12.01.2021 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर पूरी जानकारी होने से व अपील की कानूनी राय मिलने से तुरंत नागौर आकर अब अपील पेश की। अपीलांट गरीब अनपढ किसान व्यक्ति है। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि--

{2}(I)--अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित, राजनेतिक दबाव व प्रभाव मे आकर, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पूर्ण सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच व नाप चोप किये, बिना अतिक्रमी साबित हुए ही पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)--अपीलांट ने कथित नोटिस की पालना मे उपस्थित होकर प्राथमिक आपति पेश कर निवेदन किया कि उसका रास्ता की भूमि पर कोई कब्जा नही है उसका कब्जा पीढियो से उसके खातेदारी के खेत पर ही रहता चला आया है। इस रास्ता पर दीगर ईसाराम वगैरा का नाजायज कब्जा है तथा खुलासा तथ्य लिखित व मौखिक रूप से कथन कर निवेदन किया कि खसरा नं. 247 की पश्चिमी दक्षिणी कटाणी रास्ता खसरा नं. 264 चलता है। जिस पर हीराराम, ईसाराम, गुलाराम द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता को छोटा कर दिया है रास्ते का विवाद होने पर जब जब सीमाज्ञान किया तो उस सीमाज्ञान मे हमेशा अंतर आया, अलग अलग टीम द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता को छोटा कर दिया है रास्ते का विवाद होने पर जब जब सीमाज्ञान किया तो उस सीमाज्ञान मे हमेशा अंतर आया, अलग अलग टीम द्वारा अलग अलग मान करने पर माप मे भिन्नता आने पर रास्ता कभी मौके पर चल रहे को सही बताया तो कभी दक्षिणी तरफ खसरा नं. 425 व 430 के खातेदारो द्वारा अतिक्रमण करना बताया है तो कभी अपीलांट द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण करना बताया गया है अलग अलग माप मे भिन्नता आने से पडोसी खातेदारो के बीच मे वैमनस्यता द्वेष पैदा हो गया है

अपर कलक्टर, नागौर

कोई भी पक्षकार किसी भी माप को मानने क लिये तैयार नही होता है राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान मे भिन्नता आने से रास्ते की सीमा कहां कायम की जाये यह संभव नही हो पा रहा है तथा अपीलांट को सुने बिना ही उसकी पीठ पीछे बेदखल आदि की कार्यवाही करवायी जा रही है इस कारण उक्त विवाद को हमेशा हमेशा के लिये समाप्त करने के लिये ग्राम हनुमानसागर की सीमा पर कायम मुटाम या कायम बिन्दु से सही माप करवाने के लिये सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियो द्वारा माप करवाये जाने का निवेदन किया क्योकि वक्त सेटलमेंट राजस्व नक्शा बनाते समय सेटलमेंट विभाग की टीम द्वारा सही माप करवा कर रास्ता की सीमा तय करने का निवेदन किया। तत्पश्चात दिनांक 08.10.20 को एक आवेदन धारा 151 सीपीसी का पेश कर अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा हनुमानसागर के खसरा नं. 264 गै.मु. रास्ता का सीमाज्ञान होकर रास्ता से ईसाराम वगैरा का अतिक्रमण पूर्व मे हटाया जा चुका है। जिसमे अतिक्रमियो को सजा भी की जा चुकी है परंतु दुबारा सीमाज्ञान के आधार पर गेरसायल को अतिक्रमी मानकर धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है जबकि दुबारा किया गया सीमाज्ञान गलत है जिसकी आपति दर्ज करवायी गयी व निवेदन किया कि एसडीओ खींवसर ने श्रीमान जिला कलक्टर नागौर से सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियो से नाप करवाने की अनुशंषा की है अर्थात सीमाज्ञान मे आपति है तब तक गेरसायल के खिलाफ धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही गलत व विधि विरूद्व होने से ड्रोप करने का निवेदन किया। इसके बावजूद व वास्तविक अतिक्रमी ईसाराम वगैरा के विरूद्व पूर्व मे इस रास्ता पर अतिक्रमण मानकर बेदखली व सजा का निर्णय किया होने के बावजूद अब उनके ही अनुचित दबाव व प्रभाव मे आकर अपीलांट का कब्जा न होते हुए भी अपीलांट को मिथ्या रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताकर बिना सही नाप चोप किये ही यह निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नही है अपीलांट वृद्व, गरीब, किसान व्यक्ति है शुरू से ही जिस खातेदारी के रकबा पर उसका कब्जा काश्त रहा उसी अनुसार आज दिन है। रास्ता की एक इंच भूमि पर ही उसने कोई कब्जा नही किया है विवाद गांव की राजनेतिक पार्टीबाजी से ज्यादा बढा है तथा मुन्तकिल पाईन्ट से नाप चोप नही करने के कारण ज्यादा विवाद बढा है व वास्तविक अतिक्रमियो के विरूद्व निर्णय हो जाने से उन्होने अपने राजनेतिक रसूखात का इस्तेमाल कर निर्दोष अपीलांट को दण्डित करवाने व बेइज्जत करने के लिये बिना दोष के ही उसके विरूद्व कार्यवाही करवायी है ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपास्त कर गांव हनुमानसागर के किसी निश्चित फिक्स पोईन्ट से रास्ते का नाप चोप करवाया जाकर सही सीमाज्ञान करवा कर निशान चिन्हित करवाया जाकर सदैव के लिये विवाद समाप्त करने के लिये तहसीलदार को उचित आदेश दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{2}(III)–गांव के कुछ असामाजिक तत्व का वास्तविक अतिक्रमी लोगो द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर राजनेतिक रसूखात का इस्तेमाल कर अपीलांट की आवाज दबाने व उस पर दबाव बनाने के लिये अपीलांट के विरूद्व ही मिथ्या रिपोर्ट पटवारी से करवायी जा रही है अपीलांट ने न तो पूर्व मे कभी अतिक्रमण किया न उसे पूर्व मे कभी कोई बेदखल किया, मिथ्या मुकदमे दर्ज किये जा रहे है पटवारी अन्य लोगो के अनुचित दबावप व प्रभाव मे आकर उनके अतिक्रमण को बचाये रखने के लिये अपीलांट के विरूद्व गलत रिपोर्ट व कथन किये है इस कारण निष्पक्ष टीम से नाप चोप करवाया जावे ताकि वास्तविक स्थिति पत्रावली पर आ सके। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व बनता कि अपीलांट गरीब किसान की इस व्यथा व वास्तविक स्थिति पर ध्यान देकर उनके द्वारा राजहित व जनहित मे वास्तविक पाईन्ट से सही नाप चोप व जांच करवाते व निष्पक्ष टीम से नाप चोप करवाते, अपने स्तर पर मौके की जांच करते तो सारी स्थिति पत्रावली पर आ जाती मगर अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर ऐसा नही किया व अपीलांट को पूर्ण जवाब व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आनन फानन मे बिना किसी अर्जेन्सी के ही, कथित पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट व उसके समर्थन मे पटवारी के बयान लेकर केवल पटवारी की रिपोर्ट व बयानो का हवाला देकर निर्णय जैर अपील पारित किया है व अपीलांट के उजरात के सबंध मे कोई विवेचन, विश्लेषण निर्णय मे नही किया है। इन परिस्थितियो मे कथित निर्णय जैर अपील विधिक प्रक्रिया के तहत पारित निर्णय न होकर निरंकुश निर्णय है व नायब तहसीलदार, पटवारी वगैरा को भलीभांति जानकारी रही है कि उक्त निर्णय गैर कानूनी रूप से पारित किया गया है व इसके विरूद्व अपील होगी। इस कारण आनन फानन मे गिरफ्तारी वांरट जारी करके अपीलांट की फसल को नुकसान पहुँचाने आदि का कृत्य करने की पूरी संभावना उत्पन्न हो रखी है। वर्तमान दौर मे कोरोना महामारी के कारण किसान लोग पहले से ही कर्ज मे डूबे हुए है व रोजी रोटी की विकट समस्या बनी हुई है इसके उपरांत भी स्थानीय प्रशासन द्वारा राजनेतिक रसूखात के चलते चंद लोगो की स्वार्थपूर्ति मे इस तरह से किसानो के विधिक अधिकारो पर

नगर कलक्टर, नागौर

कुठाराघात कर उनकी सुनवाई किये बिना उनकी फसल को नष्ट करने व खातेदारी की भूमि से अकारण बेदखल करने व जेल मे डलवाने की अवैधानिक कार्यवाही कर रहे है तथा उक्त रास्ते का सही सीमाज्ञान नही करके विपरीत दिशा मे रास्ता की भूमि दबी हुई होने के बावजूद उसको बचाने के लिये अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे जबरन नया रास्ता कायम करने की बदनियति से आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो स्थिर रहने योग्य नही है अपीलांट के साथ भारी अन्याय हुआ है।

{2}(IV)–अपीलांट के कब्जासुद खातेदारी का खेत वाके मौजा हनुमानसागर मे स्थित है जिसके पास कटाणी रास्ता चलता है जो खटोडा से साठिका डामर सडक से आगे पोटलियो की ढाणी जाने वाला रास्ता है जिसके खसरा नं. 264 है कथित खसरा नं. 264 कटाणी रास्ता पर अपीलांट का एक इंच भू भाग पर किसी भी रूप मे कोई कब्जा नही था न है न होगा न अपीलांट को पूर्व मे कभी बेदखल किया गया। अपीलांट का अपनी खातेदारी की भूमि पर ही कब्जा है रास्ते की भूमि पर ही कब्जा है रास्ते की तरफ पीढियो से धोरा पाली, बाड, की हुई रहती चली आयी थी, हर वर्ष की भाति अपनी खातेदरी की भूमि मे ही अपीलांट फसल की बुवाई कर अवेरता रहा है व परिवार की जीविकोपार्जन करता रहा है मगर अपीलांट सहित ग्रामवासियो ने अन्य अतिक्रमियो के विरूद्व शिकायत करने मात्र से रंजिशवश अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही करवा करके नुकसान पहुचाया जा रहा है व इसी दुराशय से व दबाव बनाने के लिये आनन फानन मे जल्दबाजी मे बिना किसी अर्जेन्सी के, बिना विधिवित सुनवाई किये उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जो एक भारतीय नागरिक व किसान के साथ स्थानीय प्रशासन को भंयकर अत्याचार है। उपरोक्त परिस्थितियो मे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है कि अपीलांट का कथित खसरा नं. 264 गै.मु. रास्ता के किसी भी भू भाग पर न तो पूर्व मे कभी कब्जा रहा है न आज दिन है। अपीलांट से नाराजगी रखने वाले लोगो ने पटवारी को अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवायी है। जबकि कथित खसरा नं. 264 के चिपता ही अपीलांट की खातेदारी का खेत स्थित है और वास्तविक नाप चोप करवाने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी व हो सकती है और उस नाप चोप व सीमाज्ञान मे यदि एक इंच भी खातेदारी से अधिक अपीलांट का कब्जा पाया जाता तो अपीलांट ऐसा कब्जा छोडने को सदैव तैयार था, है व रहेगा, जब इस तरह का नम्रतापूर्वक निवेदन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे करने के बावजूद उसकी सुनवाई नही की, जबकि इन परिस्थितियो मे अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व बनता कि किसी काश्तकार के ऐसे निवेदन पर नाप चोप व सीमाज्ञान संबंधी कार्यवाही निष्पक्ष टीम से करके विवाद का निरस्तारण किया जावे मगर प्रकरण हाजा मे ऐसा नही करके बिना किसी आधार के, बिना विधिक सुनवाई के, बिना पत्रावली का अवलोकन किये व बिना आवश्यकता के ही ऐसा निर्णय जैर अपील पारित कर आनन फानन मे गिरफ्तार करवा कर जेल मे डलवाने की तैयारी कर ली जबकि वास्तविक अतिक्रमियो के विरूद्व निर्णय होने के बावजूद मौके पर से उनको भौतिक रूप से बेदखल नही करना स्पष्ट रूप से आपस मे मिलीभगती व दुर्भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे बिना किसी प्रकार की जांच किये व नायब तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके पर गै.मु. रास्ता का नाप चोप टीम से करवाये बिना ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी मे निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधि गैर कानूनी निर्णय है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट ने इस आशय का शपथ पत्र भी पेश किया है कि मेरा कथित रास्ते के किसी भी भी भूभाग पर कोई अतिक्रमण नही है तथा आराजी भूमि पर मेरा कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो मै तुरंत छोडने को तैयार हूँ व भविष्य मे कभी भी रास्ता की भूमि पर कोई कब्जा नही करूंगा तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 2005 पेज 582 से 584, आरआरडी 2004 पेज 19 से 21, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेज 214 से 225 तथा आरआरटी 2005(2) पेज 1474 से 1476 नजीरे पेश की।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा हनुमानसागर में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि है। जो सार्वजनिक भूमि है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके हनुमानसागर के खसरा नंबर 264 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लेने तथा भविष्य मे अतिक्रमण नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है तथा अपीलांट 88 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। शेष आदेश बेदखली व जुर्माना जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर